



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18022023-243711
CG-DL-W-18022023-243711

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18—फरवरी 24, 2023 (माघ 29, 1944)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18—FEBRUARY 24, 2023 (MAGHA 29, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	45	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	157	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	471	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	237
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	477
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	45	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	157	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	471	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	237
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	477
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2023

सं. 2-प्रेस/2023—पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस तथा सुरक्षा संगठनों के सदस्यों के लिए, राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं 142-Pres/2000 दिनांकित 20.09.2000, के द्वारा स्थापित किए गए "पुलिस (आंतरिक सुरक्षा सेवा) पदक को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 3-प्रेस/2023—भारतीय संघ के पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के सदस्यों के लिए, राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना 29-Pres./62 दिनांकित 23.02.1962, के द्वारा स्थापित किए गए "पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक" को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2023

सं. हिंदी/समिति/2021/38/5 पार्ट-1—रेल मंत्रालय के दिनांक 13.01.2022 के संकल्प सं. हिंदी/समिति/2021/38/5 में श्री के. सी. रामामूर्ति, संसद सदस्य, राज्य सभा जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है उनके स्थान पर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित डॉ. कल्पना सैनी, संसद सदस्य, राज्य सभा का नाम पुनर्गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति में शामिल किया जाता है। संशोधित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का वर्तमान स्वरूप निम्नानुसार होगा:—

I. गठन,

1.	श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, रेल राज्य मंत्री (डी)	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती दर्शना जरदोश, रेल राज्य मंत्री (जे)	उपाध्यक्ष
II.	गैर-सरकारी सदस्य संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित	
4.	श्री हरीश द्विवेदी, संसद सदस्य, (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री राम कृपाल यादव, संसद सदस्य, (लोक सभा)	सदस्य
6.	डॉ. कल्पना सैनी, संसद सदस्य, (राज्य सभा)	सदस्य
7.	श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल, संसद सदस्य, (राज्य सभा)	सदस्य

III. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
8.	प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, संसद सदस्य, (लोक सभा)	सदस्य
9.	श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य, (लोक सभा)	सदस्य
IV. हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज द्वारा नामित		
10.	श्री कुन्तक मिश्र	सदस्य
V. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित		
11.	डॉ. भगवान दास पटैरया	सदस्य
VI. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित		
12.	श्री प्रभात वर्मा	सदस्य
13.	डॉ अनिल चौबे .	सदस्य
14.	श्री जय प्रकाश शास्त्री	सदस्य
VII. माननीय रेल मंत्री जी द्वारा नामित		
15.	कुमार देवेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
16.	श्री गणेश दत्त	सदस्य
17.	श्रीमती अर्चना जैन	सदस्य
18.	श्रीमती सरस्वती वर्मा	सदस्य
VIII. सरकारी सदस्य		
19.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड	सदस्य
20.	सदस्य वित्त	सदस्य
21.	सदस्य (अवसंरचना)	सदस्य
22.	सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक)	सदस्य
23.	सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	सदस्य
24.	महानिदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य
25.	महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं)	सदस्य
26.	महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल)	सदस्य
27.	महानिदेशक (संरक्षा)	सदस्य
28.	सचिव, रेलवे बोर्ड	सदस्य
29.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
30.	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का एक और प्रतिनिधि	सदस्य
31.	प्रधान कार्यपालक निदेशक, कार्मिक	सदस्य
32.	प्रधान कार्यपालक निदेशक, (औ.सं.)	सदस्य
33.	निदेशक, राजभाषा	सदस्य सचिव

2 समिति के कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के बारे में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन और रेल मंत्रालय एवं उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. समिति का कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा। जो संसद सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे सदन के भंग होने अथवा अपना कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य नहीं रहने पर, इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। इस समिति में कोई

स्थान खाली होने पर, यदि किसी व्यक्ति को सदस्य नामित किया गया तो वह शेष अवधि के लिए सदस्य बने रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में, इस समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. यात्रा तथा अन्य भत्ते

इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को रेलवे बोर्ड के दिनांक 09/08/2016 के पत्र सं. हिंदी/समिति/2015/38/2 में निहित एवं समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप वाहन और दैनिक भत्ता दिया जाएगा तथा यात्रा के लिए रेलवे चैक पास जारी किए जाएंगे। ये रेलवे चैक पास गैर-सरकारी सदस्यों के निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से बैठक के स्थान तक प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में उसी श्रेणी में सहचर सहित आने-जाने की यात्रा के लिए जारी किए जाएंगे। ये रेलवे चैक पास राजधानी तथा शताब्दी गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित तथा कुर्सीयान में सहचर सहित यात्रा के लिए भी मान्य होंगे।

5. सामान्य

इस समिति का मुख्यालय रेल भवन, नई दिल्ली में होगा तथा समिति की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। (प्राधिकार: गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 21/28 जनवरी, 2019 का पत्र सं. 14013/01/2019-राभा(नीति))।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति इस समिति के सभी सदस्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संदीप माथुर
सचिव, रेलवे बोर्ड

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th February 2023

No.2-Pres/2023—"Police (Antrik Suraksha Seva) Padak", instituted vide President's Secretariat Notification No. 142-Pres/2000 dated 20.09.2000 for members of Police Forces, Central Police and Security Organizations stands discontinued with immediate effect.

S. M. SAMI
Under Secretary

No. 3-Pres/2023—"Police (Special Duty) Medal", instituted vide President's Secretariat Notification No 29-Pres./62 dated 23.02.1962 for the members of Police Forces, Central Police/Security Organization throughout the Indian Union, stands discontinued with immediate effect.

S. M. SAMI
Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 2nd February 2023

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/2021/38/5 Part-1—In the Resolution No. Hindi/Committee/2021/38/5 of the Ministry of Railways dated 13.01.2022, Dr. Kalpana Saini, Member of Parliament, Rajya Sabha has been nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs Committee in place of Shri K.C. Ramamurthy, Member of Parliament, Rajya Sabha whose term has completed, Dr. Kalpana Saini, Member of Parliament, Rajya Sabha name is included in the reconstituted Railway Hindi Salahakar Committee. The present composition of the revised Railway Hindi Salahakar Committee will be as under:—

I. Composition

1.	Shri Ashwini Vaishnaw, Minister for Railways	Chairman
2.	Shri Raosaheb Patil Danve, Minister of State for Railways (D)	Dy. Chairman
3.	Smt. Darshna Jardosh, Minister of State for Railways (J)	Dy. Chairman

II. Non-Official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

4.	Shri Harish Dwivedi, MP (Lok Sabha)	Member
5.	Shri Ram Kripal Yadav, MP (Lok Sabha)	Member
6.	Dr. Kalpana Saini, MP (Rajya Sabha)	Member
7.	Smt. Rajani Ashokrao Patil, MP (Rajya Sabha)	Member

III. Nominated by the Parliamentary Committee on Official Language

8.	Prof. Rita Bahuguna Joshi, MP (Lok Sabha)	Member
9.	Shri Manoj Tiwari, MP (Lok Sabha)	Member

IV. Nominated by Hindi Sahitya Sammelan, Prayagraj

10.	Shri. Kuntak Mishra	Member
-----	---------------------	--------

V. Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

11.	Dr. Bhagwan Das Pateria	Member
-----	-------------------------	--------

VI. Nominated by the Deptt. of Official Language, M/o Home Affairs

12.	Shri Prabhat Verma	Member
13.	Dr. Anil Chaube	Member
14.	Shri Jay Prakash Shastri	Member

VII. Nominated by the Hon'ble Minister for Railways

15.	Kumar Devendra Pratap Singh	Member
16.	Sh. Ganesh Dutt	Member
17.	Smt. Archana Jain	Member
18.	Smt. Saraswati Verma	Member

VIII. Official Members

19.	Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board	Member
20.	Member Finance	Member
21.	Member(Infrastructure)	Member
22.	Member(Traction and Rolling Stock)	Member
23.	Member(Operation and Business Development)	Member
24.	Director General (Human Resource)	Member
25.	Director General (Railway Health Services)	Member
26.	Director General, (Railway Protection Force)	Member
27.	Director General (Safety)	Member
28.	Secretary, Railway Board	Member
29.	Secretary, Deptt. of OL, M/o Home Affairs	Member
30.	Another representative of Deptt. of OL, M/o Home Affairs	Member
31.	Principal Executive Director, Staff	Member
32.	Principal Executive Director, (IR)	Member
33.	Director (Official Language)	Member Secretary

II. Functions of the Committee

The functions of the Committee will be the implementation of the Official Language Policy as envisaged in the Constitution of India, Official Language Act & the Rules made there under, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the M/o Home Affairs (Department of Official Language) and also to render advice to increase the use of Hindi in the working of the Ministry of Railways and in its Attached and Subordinate offices.

III. Tenure of the Committee

The tenure of the Committee will be for three years from the date of its constitution. The members of the parliament, who are members of the Committee, shall cease to be member of the Committee on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be members of the House. If a vacancy arises in the Committee, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under Special Circumstances, the tenure of the Committee may be curtailed or extended.

IV. Travelling and other allowances

For attending the meetings of the Committee, payment of Transport and Daily Allowance to the Non-Official Members will be governed by the guidelines issued vide Railway Board's letter No. Hindi/Samiti/2015/38/2 dated 09.08.2016 and directions issued from time to time in this regard and Railway cheque pass for conducting journey will also be issued. These Railway cheque Pass will be issued to the non-official members of Railway Hindi Salahakar Samiti from the nearest railway station of the residence to the place of meeting for travel in First Class/Ind AC with Companion in the same Class for to and fro journey. These railway cheque pass will also be valid in Ind AC and Chair Car of Rajdhani and Shatabdi trains with companion.

V. General

The Headquarters of the Committee shall be at Rail Bhavan, New Delhi and the meetings of this Committee will be conducted at New Delhi. (Authority: M/O Home Affairs, Department of Official Language letter No. 14013/01/2019-OL(Policy) dated 21/28 Jan, 2019).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of this committee, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANDEEP MATHUR
Secretary, Railway Board